न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला

रीवाम०प्र०   R. 5130-दो/15

(18)

निगरानी प्रकरण क्र०

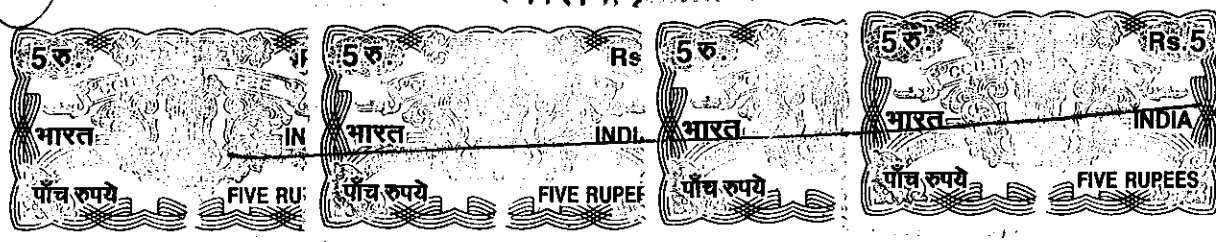

5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES (×4)

अजय कुमार शुक्ला तनय शम्भूप्रसाद शुक्ला उम्र 50 साल पेशा कृषि, निवासी ग्राम ढेकहा, तह० हुजूर, जिला रीवाम०प्र० ------ निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- जगदीश प्रसाद शुक्ला तनय बैजनाथ शुक्ला पेशा खेती, व पेंशनर,

2- राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय बैजनाथ प्रसाद शुक्ला पेशा पेंशनर व खेती,

दोनों निवासीगण ग्राम ढेकहा तह० हुजूर, जिला रीवाम० प्र०-- गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. दिवाकर त्रिपाठी एड द्वारा आज दिनांक 26-X-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक, निरीक्षक मण्डल गिर्द, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्र० 27अ-12/13-14 मेपारित आदेश दि० 14-7-14

अन्तर्गत धारा 50 :1: म०प्र० भूराजस्व संहिता सन1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से काबिल निरस्तगी के है।

2- यहकि आराजी नं० 799 जो कि निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्तागण की पुस्तैनी भूमि है, जिसमे आवेदक/निगरानीकर्ता एवम अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता को आपसी हिस्सावांट मे जुज भाग 3-64ए० प्राप्त है।

2- यहकि मूल आराजी नं० 799 मे आवेदक व अनावेदकगणो के बीच हुये आपसी हिस्सावांट के मुताबिक आराजी नं० 799/1 रकबा 1-25ए० अनावेदक क्र० 2 के नाम व 799/2 रकबा 1-25ए० अनावेदक क्र० 1 के नाम एवम 799/3 रकबा 3-64ए०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5130–दो/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश अजय कुमार शुक्ला विरूद्ध जगदीश प्रसाद शुक्ला	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-2016	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर त्रिपाठी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हे यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर बिचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर बिचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति तथा विवादित सर्वे कमांक 799 ग्राम करहिया हल्का कमांक 81 के नक्श वर्ष 2015–2016 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में विवादित भूमि के खसरे में हुए बटांकन के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कर दिया गया है जवकि नक्शा अक्स की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित सर्वे कमांक का खसरे में हुए कथित बटांकन के अनुसार नक्शा तरमीम नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बिना नक्शा तरमीम के किया गया सीमांकन विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता। अतः उपरोक्त परिस्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन आदेश दिनांक 14.07.2014 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे समस्त हितवद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्षसमर्थन का अवसर प्रदान करते हुए विवादित भूमि का नक्शा तरमीम उपरांत उभयपक्ष के चाहे जाने पर सीमांकन की कार्यवाही संपादित करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0रि0हो। सदस्य	